उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2
संख्या–क0नि0–2– 485/ग्यारह–9(1)/08–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(60)–2010
लखनऊ: दिनांक: 13 मई, 2010

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 81 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (11) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, सरकारी अधिसूचना सं0–क0नि0–2–1771/ग्यारह–9(1)/2004–उ0प्र0अधि0–15–48–आदेश–(19)–2004 दिनांक 05 जुलाई, 2004 को अधिक्रमण करते हुए दिनांक 13 मई, 2010 से समय–समय पर यथासंशोधित राज्य ऊर्जा नीति, 2003, के अधीन उत्पादन (नवीन क्षमता और नवीकरण तथा आधुनिकीकरण), पारेषण और वितरण में लगी हुई किसी ऐसी ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई को, जिसकी कुल पूँजी निवेश, नीति अवधि के भीतर अर्थात 31 मार्च, 2009 तक एक हजार करोड़ रूपये या उससे अधिक की हो, अन्य व्यवहारियों के ऐसे माल के क्रय या विक्रय पर कर के संदाय के दायित्व के लिये दायी होने के लिए अनुज्ञा देते हैं, यदि ऐसे मालों का विक्रय अंततः ऐसी ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई को इस शर्त के अधीन रहते हुए किया जाय कि ऐसी इकाई, ऐसे व्यवहारियों को ऐसे प्रपत्र में जैसाकि कमिश्नर द्वारा अवधारित किया जाये, घोषणा पत्र जारी करें।

स्पष्टीकरण:– कमिश्नर द्वारा अवधारित प्रपत्र में इकाई द्वारा जारी घोषणा 01 जनवरी, 2008 से प्रारम्भ होने वाली और इस अधिसूचना के प्रारम्भ होने के दिनांक को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किये गये तथा अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–1771/ग्यारह–9(1)/2004–उ0प्र0अधि0–15–48–आदेश–(19)–2004 दिनांक 05 जुलाई, 2004 से आच्छादित संव्यवहारों के लिए भी लागू होगी।

आज्ञा से,
(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव।

FROM : D FAX NO. : 0522 2721153 May. 14 2010 12:24PM P2